[श्री मुलायम सिंह यादव]

श्री मुलायम सिंह यादव, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय आज किसान की हालत खराब होती जा रही है। मैं अब सरकार को तात्कालिक उपाय क्या करने में, यह बता रहा हूं। दीर्घकालीन नीति को मैं नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि आपने कहा है कि मैं जल्दी समाप्त करूं। सबसे पहले जो निजी चीनी मिलें हैं, जिनके बारे में आपने यानी दिल्ली सरकार ने 75 रुपया प्रति क्विटंल गन्ना मूल्य देने का फैसला किया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने 95 रुपए प्रति क्विंटल देने का फैसला किया है, तो शरद यादव जी चीनी मिल मालिकों से किसान का भुगतान कराइये तथा जो भुगतान नहीं कर रहे हैं उन्हें जेल भेजो तथा चीनी मिलों पर रिसीवर बिठाइए।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको आधा घंटा हो गया है, अब आप समाप्त करें।

श्री मुलायम सिंह यादव: आखिरी बात कहना चाहता हूं। अभी जायसवाल जी ने खुलकर नहीं कहा, इसमें लेनदेन हुआ है। सरकार में बैठे हुए लोगों ने लेनदेन किया है-आठ रुपए बोरी। मैं सदन के अंदर यह जानबूझकर कह रहा हूं कि आठ रुपए प्रति बोली चीनी मिल मालिकों से तय हुई है। 30 करोड़ रुपए की पहली किस्त ली जा चुकी है। 100 करोड़ रुपए लेनदेन का मामला है। प्रधान मंत्री जी आप सीबीआई से जांच कराइए। अगर सीबीआई की जांच में मेरा आरोप गलत साबित हो जाएं, तो मैं तुरंत लोक सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। इसलिए किसानों की बर्बादी हुई है। हम यह घोषणा सदन में करते हैं और कहते हैं कि आठ रुपए प्रति बोरी तय हुआ है, हम सिद्ध करके बता देंगे। 30 करोड़ रुपए की पहली किस्त पहुंच चुकी है। 100 करोड़ रुपए के लेनदेन का सौदा किसानों की कमाई का हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि 30 करोड़ रुपए लिए जा चुके हैं। इसीलिए किसानों पर गोलियां चल रही हैं। इसीलिए यह सारे निर्देश हैं। अगर एक बात गलत निकले, तो हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। इसीलिए किसानों पर गोली चलाई गई है और उनको बर्बाद किया जा रहा है। एक सदस्य ने कहा कि सभी दल रुपया चीनी मिल मालिकों से लेते हैं। समाजवादी पार्टी कोई रुपया नहीं लेती है और न कभी लिया है। चाहे 1993 का चुनाव हो या 1996 का चुनाव हो, कोई बता दे कि समाजवादी पार्टी चीनी मिल मालिकों से रुपया भी लिया हैं कोई इसको सिद्ध कर दे तो मैं लोकसभा से इस्तीफा देने को तैयार हूं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि रुपया लेने वाले वे हैं। सब को पता है, आज बकायदा रुपया लिया गया है, इसीलिए हमने कहा कि सीबीआई से जांच कराओ, किसानों की हत्या कराएंगे, और हत्या क्यो छिपायेंगे और पुलिस से बचाने का काम मुख्यमंत्री कर रही हैं।

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जो कुछ कहना है, मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा। मैं चर्चा का उत्तर देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। चर्चा का उत्तर मेरे सहयोगी मित्र श्री शरद यादव देंगे। मैं एक-दो का स्पष्टीकरण करने के लिए आपका समय ले रहा हूं।

जैसा कि सदन को विदित है केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य, स्ट्रेटेजिक मिनीमम प्राइस निर्धारित किया जाता है। यह वह न्यूनतम मूल्य है जिससे कम पर कोई भी चीनी मिल गन्ना किसानों से गन्ना नहीं खरीद सकती है। चीनी मिलें परस्पर सहमति से किसानों को इससे अधिक मूल्य दे सकती हैं और देती भी रही हैं। इस वर्ष केन्द्र सरकार ने गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 6.5 प्रतिशत रिकवरी के स्तर पर 64 रुपए 50 पैसे प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। चूंकि सांविधिक न्यूनतम मूल्य मूल रिकवरी से जुड़ा है, इसलिए जिन चीनी मिलों में अच्छी 'रिकवरी' है, वहां के किसानों के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य भी अधिक निर्धारित किया जाता है। वर्तमान, में, उत्तर प्रदेश में औसतन सांविधिक न्यूनतम मूल्य लगभग 74 रुपये प्रति क्विंटल है।

हमने गन्ना किसानों की समस्याओं को देखते हुए उन्हें राहत पहुंचाने के लिए यह निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार सांविधिक न्यूनतम मूल्यों में पांच रुपये प्रति क्विटंल की बढ़ोत्तरी करेगी जो सभी प्रदेशों में लागू होगी।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी गन्ना किसानों को राहत देने के लिए कुछ उपयुक्त कदम उठाये हैं। वह क्रय कर गन्ना सोसाइटीज के कमीशन एवं चीनी पर प्रवेश कर में कुल चार रुपए प्रति क्विंटल गन्ना के समतुल्य अनुदान व छूट दे रही है। प्रदेश सरकार इस उद्देश्य के साथ चीनी मिलों को यह अनुदान व छूट दे रही है कि वे यह चार रुपए किसानों को दिये जा रहे गन्ना मूल्य में शामिल कर भुगतान करेंगी। इस तरह, उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए कुल मिलाकर नौ रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी उपलब्ध होगी।

हम सभी जानते हैं कि गन्ना किसानों की खुशहाली चीनी उद्योग के विकास से जुड़ी है। इस उद्योग के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जरूरतमंद लोगों को रोजगार मिलता है। अत: यह जरूरी है कि हम चीनी उद्योग को स्वस्थ रखें। चूंकि आज चीनी उद्योग कठिनाई में है, हमें ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है कि मौजूदा संकट शीघ्रातिशीघ्र समाप्त हो। हाल के महीनों में चीनी के दामों में काफी कमी आई है जिसका एक कारण यह है कि कई चीनी मिलों ने भारत सरकार द्वारा जारी कोटे के अतिरिक्त, न्यायालयीन प्रक्रिया के माध्यम से, चीनी 'रिलीज' करने के आदेश प्राप्त किए हैं। इससे बाजार में चीनी की आपूर्ति बढ़ी है और मूल्यों में गिरावट आई है। इन परिस्थितियों में वर्तमान 'रिलीज' प्रणाली को जारी रखने व प्रभावी तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि चीनी

की 'रिलीज' प्रणाली को जारी रखते हुए चीनी के बाजार मूल्यों में पुन: स्थिरता कायम करने के सार्थक प्रयास किए जाएं।

जैसा कि खाद्य मंत्री जी ने बताया है, केन्द्र सरकार ने 20 लाख टन चीनी का 'बफर स्टॉक' बनाने का भी निर्णय लिया है। इससे 786 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था होगी जिसका गन्ना किसानों को उनके गन्ना मूल्य के बकाया की अदायगी करने में उपयोग किया जाएगा।

मैं समझता हूं कि उपरोक्त कार्यवाही के फलस्वरूप गन्ना किसानों को काफी राहत मिलेगी और चीनी उद्योग की परिस्थितियों में सुधार होगा।

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फरनगर): आपने जैसा ऐलान किया था, कल ही आपने अपने वक्तव्य में कहा था कि खरीफ की फसल की बकाया को स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन मुजफ्फरनगर में 15 किसान जेल जा चुके हैं। खरीफ की फसल की वसूली आपने स्थगित कर दी। ...*(व्यवधान)* प्रधान मंत्री जी ने ऐलान किया था और उसके बावजूद किसान जेल जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में 15 किसान खरीफ की फसल की बकाया में जेल गये। ...*(व्यवधान)* आपने खरीफ की फसल की बकाया स्थगित की थी। आपके आदेशों का भी पालन नहीं हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

[**جناب سعید الزماں صاحب (مظفر نگر)**: آپ نے جیسا اعلان کیا تھا، کل ہی آپ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ کھریف کی فصل کی بقایا کو روک دیا جائیگا۔ لیکن مظفر نگر میں 15 کسان جیل جا چکے ہیں۔ کھریف کی فصل کی وصولی آپ نے روک دی تھی۔...(مداخلت) پردھان منتری جی نے اعلان کیا تھا اور اس کے باوجود کسان جیل جا رہے ہیں۔ مظفر نگر میں 15 کسان کھریف کی فصل کی بقایا میں جیل چلے گئے۔...(مداخلت) آپ نے کھریف کی فصل کی بقایا روک دی تھی۔ آپ کے احکامات کا بھی پالن نہیں ہو رہا ہے۔...(مداخلت)]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: आपने जो मुद्दा उठाया है, उसको गहराई से देखकर हम फैसला करेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: 95 रुपए प्रति क्विंटल उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले से घोषित कर रखा है और प्रधान मंत्री जी ने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उसके हिसाब से 81 रुपये क्विंटल ही मिलेंगे, तो भारत सरकार की घोषणा से क्या फायदा हुआ? 14 रुपये क्विंटल तो यू.पी. सरकार ने पहले ही घोषित कर रखा है। ...*(व्यवधान)*

श्री महबूब जाहेदी (कटवा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि कम से कम इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे चर्चा के लिए मौका दिया। मुलायम सिंह जी भी अभी इस विषय पर बोले हैं। मैं मुंडेरवा से अभी-अभी आ रहा हूं और कल पूरे दिन घूमा हूं। कम से कम जोसफ, बद्री प्रसाद, धर्मराज और तिलकराम के घर-घर में हम गये हैं।

सदन में किसानों की समस्या के बारे में चर्चा चल रही है और वहां पुलिस की गोली चली है। यहां सदन में कहा गया कि 15 किलोमीटर की दूरी पर जो लावारिस लाश मिली है, वह पुलिस की गोली से नहीं मरा है। यह बात हम यहां सदन में सुनकर वहां देखने गए। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि गोली जो चली है, वह कोई ऊपर से नहीं आई थी, पुलिस की गोली थी। दुख इस बात का है कि यदि उस किसान को समय पर अस्पताल भेज दिया जाता, तो वह बच सकता था। मगर आधा किलोमीटर उसको घसीटते हुए ले गए हैं और उस दौरान उसका खून बह गया तथा उसकी मृत्यु हो गई। श्री बद्री प्रसाद को जो गोली लगी है, उसके छोटे बच्चे हैं, मैं उस गोली को लेकर आया हूं। इस गोली पर नम्बर लिखा हुआ है और यह देखा जा सकता है कि पुलिस की गोली है या पुलिस की गोली नहीं है। अगर सदन में प्रधान मंत्री जी उपस्थित होते, तो मैं वह गोली उनको नमूने के तौर पर दे देता। इस गोली पर नम्बर है।

अभी प्रधान मंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया, लेकिन उन्होंने कोई नई बात नहीं बताई। 95 रुपए का दाम तो पिछले साल भी मिला था और इस साल भी 95 रुपए तय किया गया है। यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात कही गई ...*(व्यवधान)* एसएपी-स्टेट एडवाइजरी प्राइस आब्लीगेटरी नहीं है। उस प्राइस को माना भी जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता है। मुख्य बात यह है कि एसएपी भी नहीं दे रहे हैं और हरियाणा में 110 रुपए पर खरीद हो रही है और उत्तर प्रदेश में 55-60 पर खरीद कर रहे हैं। यहां सदन में बफर स्टाक के बारे में भी कहा गया है कि 20 लाख टन का बफर स्टाक बनाया जाएगा। मंत्री महोदय ने कहा कि पैसा होगा, तो हम पैसा देंगे। स्थिति है कि 3 हजार करोड़ रुपए आपके पास टैक्स के रूप में जमा है। इस पैसे से मिलों का डवेलपमेंट होना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक नई बात कह दी है, मैं पूछना चाहता हूं कि वह पैसा कहां है?

हमारी और हमारे किसानों की यही मांग है-140 रुपए के हिसाब से तीन हजार करोड़ रुपए कहां गए ...*(व्यवधान)* जो मूल्य है, वह सरकार को देना है। मौजा एक लाख रुपए दिया है-उसके छ: बच्चे हैं, बेटी है, यह तमाशा हुआ है। आज कल एक लाख रुपए में क्या होता है। मेरी मांग है कि दस लाख रुपए दिए जाएं और उनके बच्चे को नौकरी दी जाए। उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं और लड़का भी है। उसे सरकार की तरफ से नौकरी दी जाए। किसान पर कर्जा होता है और वह वसूली नहीं देता है तो उसके ऊपर केस चलते हैं और जायदाद तक लूट जाती है, सब कुछ होता है। मगर मिल वाले जो बकाया रखते हैं, इसके लिए कानून है। अगर वह बकाया रखेगा और 15 दिनों के अंदर वसूली नहीं करेगा, किसानों को नहीं देगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसे पकड़ेगा और कानून के हिसाब से उसके साथ करेंगे तथा सूद समेत उसे वापस करेंगे। ...*(व्यवधान)* एक केस हुआ था, जिसमें मिल और मालिक वाले बोल रहे हैं। मिल वाले खाली गन्ने के हिसाब से बोल रहे हैं और जो सब चीजें होती हैं उनके लिए मिल वाले नहीं बोलेंगे। खोई से कई चीजें बनती हैं-थर्मोकोल और शराब भी बनती है। इस बारे में शरद पवार जी ने भी यहां कहा है। उसका भाव क्या होगा, वह उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। आप उसे जोड़ कर देखिए, न नुकसान हो रहा है और न ही लाभ हो रहा है। मिल-मालिक बोल रहे हैं कि नुकसान हो रहा है। वे कोर्ट में चले गए। सरकार